संख्या-1/2019/4179/सैंतीस-2-2018-1(31)/2017

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास,

पशुपालन विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-02 दिसम्बर, 2018

विषयः-**चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 16 नगर निगमों में छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु स्थापित गोशालाओं के गोवंश के रखरखाव हेतु सहायता की योजना (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-5555/सा0-2/बारह/571/गो.से.आ./2018-19, दिनांक-10.12.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-27-छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नगर निगमों में छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु स्थापित गोशालाओं में गोवंश के रखरखाव हेतु प्रति नगर निगम 1000 गोवंश हेतु 365 दिवसों (एक वर्ष) के लिए रू0-30.00 (रूपये तीस मात्र) प्रतिदिन प्रति गोवंश अर्थात् रू0-109.50 लाख प्रति नगर निगम की दर से प्रदेश के 16 नगर निगमों (अलीगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, मथुरा, अयोध्या, फिरोजाबाद, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, बरेली एवं इलाहाबाद) को उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल रू0-1752.00 लाख (रूपये सत्रह करोड़ बावन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित कर तत्काल प्रदेश के 16 नगर निगमों (अलीगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, मथुरा, अयोध्या, फिरोजाबाद, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, बरेली एवं इलाहाबाद) को उपलब्ध करायी जायेगी और उपलब्ध करायी जा रही धनराशि नगर निगमों में छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु स्थापित गोशालाओं में गोवंश के रखरखाव में व्यय की जायेगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित नगर निगमों की होगी।

(2) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।

(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-27-छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-यू.ओ.-973/दस-2018, दिनांक-31.12.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-1/2019/4179(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
3. अध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, सम्बन्धित नगर निगम, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in